IJAER/ November-December 2024/Volume-13/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

सरकारी और गैर सरकारी विधालयों में शिक्षण सम्बन्धी गुणवत्ता के सम्बन्ध में छात्रों और शिक्षकों की धारणायें

डॉ. अल्का शर्मा
(रिसर्च सुपरवाईजर)
महाराज विनायक ग्लोबल **विश्वविद्यालय**
कूकस (जयपुर), राजस्थान

नेहा चर्तुवेदी
(रिसर्च स्कॉलर)
महाराज विनायक ग्लोबल **विश्वविद्यालय**
कूकस (जयपुर), राजस्थान

सार

शिक्षण को शिक्षार्थियों के साथ जुडाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि उनकी समझ और ज्ञान, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को लागू किया जा सके। इसमें डिजाइन, सामग्री चयन, वितरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल हैं। शिक्षण का अर्थ हमेशा छात्रों को सीखने में संलग्न करना है, इस प्रकार शिक्षण में ज्ञान के सक्रिय निर्माण में छात्रों को शामिल करना शामिल है। एक शिक्षक को न केवल विषय वस्तु के ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि इस बात का भी ज्ञान होता है कि छात्र कैसे सीखते हैं और उन्हें सक्रिय शिक्षार्थियों में कैसे परिवर्तित किया जाए। अच्छे शिक्षण के लिए सीखने की व्यवस्थित समझ के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। शिक्षण का उद्देश्य न केवल सूचना प्रसारित करना है, बल्कि छात्रों को अन्य लोगों के ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं से अपने और दूसरे के ज्ञान के सक्रिय निर्माता में बदलना भी है। छात्र की सक्रिय भागीदारी के बिना शिक्षक परिवर्तन नहीं कर सकता है। शिक्षण मूल रूप से शैक्षणिक सामाजिक और नैतिक परिस्थितियों के निर्माण के बारे में है, जिसके तहत छात्र व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने स्वयं के सीखने का प्रभार लेने के लिए सहमत होते हैं। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवर्तन की ओर ले जाती है जो अनुभव के परिणामस्वरूप होता है और बेहतर प्रदर्शन और भविष्य की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है।

मुख्य शब्दः गैर सरकारी, शिक्षकों, शिक्षण,

परिचय

प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता एक समस्या है जिसमें कई प्रभावशाली कारक और अनिश्चितताएं शामिल हैं, शिक्षा और शिक्षण गुणवत्ता में प्रभावी पाठ्यक्रम डिजाइन और पाठ्यक्रम सामग्री विकास, प्रतिक्रिया का उपयोग, विभिन्न शिक्षण और सीखने के संदर्भ, प्रशासक और शिक्षक जिम्मेदारियां, प्रभावी मूल्यांकन शामिल हैं। सीखने के परिणामों, और अच्छी तरह से अनुकूलित सीखने के वातावरण में, कई गुणवत्ता अंतराल भी हैं और शिक्षा और शिक्षण गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और छात्रों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई व्यापक रूप से स्वीकृत तरीके नहीं हैं, इस प्रकार, शोधकर्ता छात्र सीखने की गुणवत्ता और सुधार में तेजी से रुचि रखते हैं, व्यक्त किया कि शिक्षा और शिक्षण गुणवत्ता का छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहार संबंधी परिणामों पर स्पष्ट प्रभाव पडता है, चाहे उनका लिंग या शैक्षणिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

गुणवत्ता इस बात पर जोर देती है कि कच्चे माल को उत्पादों और ग्राहकों को संतुष्ट करने वाले डिलिवरेबल्स में बदलने के लिए सभी तत्वों का एक साथ फिट होना महत्वपूर्ण है। ग्राहक संतुष्टि वह परिणाम है जिसे टीक्यूएम द्वारा सबसे अधिक संबोधित किया गया है (टीक्यूएम के मूल सिद्धांतों का वर्णन करें जो इस प्रकार

हैं: दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य, ग्राहक फोकस, और शीर्ष प्रबंधन प्रतिबद्धता, सिस्टम सोच, गुणवत्ता में प्रशिक्षण और उपकरण, कर्मचारियों की भागीदारी में वृद्धि, विकास एक माप और रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रबंधन और श्रम के बीच बेहतर संचार, और निरंतर सुधार। यह देखा जा सकता है कि गुणवत्ता दो मुख्य धारणाओं का वर्णन करती है: 1. निरंतर सुधार और 2. उपकरण और तकनीक/उपयोग की जाने वाली विधियाँ।

उद्देश्य:

1. विद्यालय में शिक्षण सम्बन्धी गुणवत्ता के सम्बन्ध में छात्रों और शिक्षकों की धारणाओं का अध्ययन करना।
2. सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षण सम्बन्धी गुणवत्ता का अध्ययन करना।

भारत में शिक्षा

भारत में शिक्षा पब्लिक स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। पब्लिक स्कूल सरकार द्वारा तीन स्तरों पर नियंत्रित और वित्त पोषित है संघीय राज्य और स्थानीय। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो कि मौलिक अधिकार है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान की जाती है। भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों का अनुपात 7:5 है। 1976 से भारत के प्रत्येक संवैधानिक राज्य द्वारा कानूनी रूप से शिक्षा नीतियों को लागू किया जाता है। 1976 में संविधान में 42वें संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती विषय बना दिया। परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों ने शिक्षा के वित्त पोषण और प्रबंधन के लिए कानूनी जिम्मेदारी साझा की राज्यों के लिए राष्ट्रीय नीति ढांचे द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम और नीतियां नियमित रूप से संचालित होने लगी। राज्य सरकार और स्थानीय सरकार प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंधन करती है और अब सरकार द्वारा संचालित बुनियादी विद्यालयों का विकास हो रहा है या कुछ हिस्सा निजी निकायों द्वारा चलाया जाता है। भारत में सरकारी स्कूलों के पूरक के रूप में एक बडी निजी स्कूल प्रणाली है। भारत में कुछ निजी निकायों की संख्या बढरही है। स्कूल निजी तौर पर चलते हैं इनमें से एक तिहाई सहायता प्राप्त होते हैं और दो तिहाई गैर–सहायता प्राप्त होते हैं। 1 से 8 वर्ष की आयु में सरकारी और निजी स्कूल 73:27 के अनुपात में प्रबंधित हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 80:20 अधिक है और शहरी क्षेत्रों में 36:66 बहुत कम है। भारत में सरकारी स्कूलों की तुलना में एक बडी निजी स्कूल प्रणाली है।

विद्यालय शिक्षा

भारत में केंद्रीय और राज्य बोर्ड 10 2 शिक्षा प्रणाली पैटर्न का पालन करते हैं। इस शिक्षा प्रणाली के तहत 10 साल तक स्कूल में और 2 साल जूनियर कॉलेज में, 3 साल ग्रेजुएशन के लिए पढाई प्राथमिक शिक्षा में 4 साल हाई स्कूल में 6 साल में विभाजित पहले 10 साल। यह शिक्षा प्रणाली 1964–66 के शिक्षा आयोग की सिफारिश से लागू हुई। थी। वर्तमान में नई शिक्षा नीति स्वीकृत हो चुकी है परन्तु इसका क्रियान्वयन अभी होना है।

भारत में दो प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं

मान्यता प्राप्त संस्थान

यह निजी व सरकारी क्षेत्र में संचालित है तथा जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है और सार्वजनिक निर्देश व निदेशक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का पालन करते हैं और जो सम्बन्धित प्राधिकरणों, अकादमी या अन्य संस्थानों द्वारा निरीक्षण के लिए भी खुले हैं।

गैर–मान्यता प्राप्त संस्थान

जो मान्यता प्राप्त शर्तों के अनुसार अध्ययन व अध्यापन की व्यवस्था करते हैं परन्तु इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि वे सरकार की किन्हीं अन्य शर्तों की पूर्ति नहीं कर पाते जैसे की मदरसे।

शिक्षा क्या है

शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। शिक्षा का एक उदाहरण विद्यालय/कॉलेज में भाग लेना और अध्ययन करना है। औपचारिक स्कूली शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण द्वारा ज्ञान, कौशल, मन, चरित्र आदि के प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया।

शिक्षा भारत एक गुरु या प्रभु की देखरेख में शुरू हुई। प्रारंभ में, शिक्षा सभी के लिए खुली थी और उन दिनों मोक्ष, या ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों में से एक के रूप में देखा जाता था। जैसे–जैसे समय बीतता गया, एक विकेन्द्रीकृत सामाजिक संरचना के कारण, शिक्षा वर्ण और संबंधित कर्तव्यों के आधार पर प्रदान की जाने लगी, जिसे एक विशिष्ट जाति के सदस्य के रूप में करना पड़ता था। ब्राह्मणों ने शास्त्रों और धर्म के बारे में सीखा जबकि क्षत्रिय कल्याण के विभिन्न पहलुओं में शिक्षित थे और वैश्य जाति ने वाणिज्य और अन्य विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सीखा। अन्य जाति के शूद्र श्रमिक वर्ग के पुरुष थे और उन्हें इन कार्यों को करने के लिए कौशल पर प्रशिक्षित किया गया था।

सीखने की शैलियाँ छात्रों के सीखने में सुधार करने में मदद करती हैं

सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण/सीखने की शैलियों की भूमिका, शिक्षण के लिए इसके निहितार्थ और कैसे ये शैलियाँ शैक्षिक सुधार में मदद करती हैं, को समझने और जाँचने के लिए अध्ययन आयोजित किए गए हैं। 90 के दशक में, प्रत्येक शैली को शामिल करने वाले पाठ्यक्रम में समायोजन के माध्यम से शिक्षकों को कक्षा में सीखने की शैलियों को संबोधित करने पर जोर दिया गया था। इन मुद्दों पर साहित्य की समीक्षा दृढता से इंगित करती है कि प्रभावी शिक्षण के लिए सीखने की शैलियों को समझना और शिक्षण/सीखने की प्रक्रिया में सीखने की शैलियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

छात्रों के सीखने के तरीके को समझना और फिर शिक्षण में उन सीखने की शैलियों को समायोजित करना शैक्षिक सुधार की कुंजी है। सीखने की शैलियों पर यह ज्ञान शिक्षकों को प्रत्येक छात्र के अंतर के प्रति संवेदनशील होने में भी मदद करता है और पाठों को डिजाइन करते समय शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है शिक्षक द्वारा छात्रों की सीखने की शैली को ध्यान में रखते हुए सीखने की प्रक्रिया से मेल खा सकता है या बेमेल हो सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि छात्रों की सीखने की शैली की पहचान करना और उसके अनुसार निर्देश प्रदान करना अधिक प्रभावी सीखने में योगदान देगा। यहां तक कि बेमेल भी उपयुक्त हो सकते हैं ताकि छात्रों को सीखने के नए तरीकों का अनुभव हो जो उनके पास पहले नहीं था। यह बताता है कि सीखने की शैली शिक्षक के साथ छात्रों के साथ अन्तःक्रिया को आकार देने में मदद कर सकती है, जिसमें केवल बातचीत प्रक्रिया की तुलना में ज्ञान का लेन–देन अधिक प्रभावी होता है।

प्रभावी शिक्षण और अच्छे शिक्षकों की छात्रों की धारणा

शिक्षण उत्कृष्टता की खोज ने वर्तमान में ध्यान आकर्षित किया है। शिक्षण प्रभावशीलता और शिक्षकों की गुणवत्ता छात्रों के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अच्छे शिक्षकों के प्रमुख गुणों को जानना महत्वपूर्ण है। यद्यपि एक शिक्षक की अवधारणाएँ शिक्षण की अवधारणाओं से संबंधित हैं, वे समान नहीं हैं क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका केवल शिक्षण करने से परे हो सकती है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षण उत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के गुण हमेशा ओवरलैप होते हैं। अच्छे शिक्षक के लिए सामान्य तौर पर आदर्श, प्रभावी, अनुकरणीय, उत्कृष्ट, पेशेवर, सर्वश्रेष्ठ, महान, श्रेष्ठ एवं सफल जैसे शब्द कहे जाते हैं। गुणवत्ता शिक्षण और शिक्षकों को छात्र सीखने की सुविधा के संदर्भ में एक दूसरे के स्थान पर लागू किया जाता है, अच्छे शिक्षण और आदर्श शिक्षकों पर अध्ययन की बढ़ती संख्या के बावजूद एकल सहमत परिभाषा प्राप्त करना मुश्किल है। छात्रों के दृष्टिकोण को माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक क्योंकि वे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख हितधारक हैं। छात्र आदर्श कक्षा की बातचीत की गुणवत्ता, उनकी शिक्षा, उपस्थिति और यहां तक कि करियर की पसंद को भी प्रभावित कर सकते हैं।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता

शिक्षा का अर्थ है सीखकर ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा लोगों को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। शिक्षा हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है और इसकी कोई सीमा नहीं है। शिक्षा राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। यह लोगों को समय की बदलती जरूरतों का जवाब देने में सक्षम बनाने के लिए शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है और यह सभी राष्ट्रों की रीढ़ है। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक मजबूत नींव रखी है, भारत में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास के विभिन्न चरणों में गठित लगभग सभी समितियों का ध्यान केंद्रित रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय परामर्शों, चर्चाओं और सिफारिशों में, जिन्होंने आजादी के बाद हमारी विकास रणनीतियों को एक दिशा और ध्यान दिया, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों (एनपीई) और 1976 के संवैधानिक संशोधन ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो बच्चों के बीच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर–तरीकों का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे का शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन गया। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द शामिल हैं।

शिक्षा व्यवस्था में सरकार की भूमिका

बेहतर जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत एक विशाल देश है, भौगोलिक और जनसांख्यिकी दोनों दृष्टि से, अकेले सरकार सभी बच्चों को शिक्षा के दायरे में नहीं ला सकती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने में नागरिक समाज की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शिक्षा का लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचे। भारत में वंचित

बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई गैर–सरकारी संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से, शिक्षा ने देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली और नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास किया है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल जाने और रहने का अवसर मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि वे जमीनी स्तर पर काम करते हैं

एक ओर विश्वासों और दूसरी ओर प्रथाओं के बीच के अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। दोनों प्रथाओं और विश्वासों को शैक्षणिक और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा आकार दिया गया है। वे छात्रों के सीखने के लिए शैक्षणिक संदर्भ के विभिन्न यद्यपि संबंधित भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्राथमिक शिक्षा के लिए योजनाएं

- सर्व शिक्षा अभियान
- मध्याह्न भोजन

माध्यमिक शिक्षा के लिए योजनाएं

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
- माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना
- कन्या छात्रावास योजना
- व्यावसायिक शिक्षा की योजना
- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

सरकार की पहल

इस महत्वपूर्ण अधिकार को बढावा देने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा कई पहल की गई हैं। 1976 से पहले, शिक्षा केवल राज्यों की जिम्मेदारी थी। लेकिन 1976 के संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया जो एक दूरगामी कदम था। तब से केंद्र सरकार और राज्यों ने शिक्षा से संबंधित मामलों पर जिम्मेदारी साझा की। शीर्ष पर, केंद्र सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है और देश द्वारा लागू की जाने वाली आवश्यक शैक्षिक योजना तैयार करती है क्योंकि शैक्षिक योजना कुल योजना का एक हिस्सा और पार्सल है। असमानता को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं, यह महत्वपूर्ण है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और बेहतर आजीविका के अवसरों तक उसकी पहुंच हो। इस अध्ययन में 34 सरकारी एवं 30 निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर से 8वीं कक्षा के स्तर तक के विद्यार्थियों व उससे सम्बन्धित शिक्षकों की धारणाओं को जाना गया था एवं इसी आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गये है।

निष्कर्ष

अध्ययन में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को तीन कोणों से देखा जाता है, अर्थात इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। इनपुट आयाम में ढांचागत और निर्देशात्मक सुविधाएं शामिल हैं, प्रक्रिया आयाम में अंग्रेजी और गणित के विषय में शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया शामिल है, और आउटपुट आयाम में अंग्रेजी और गणित विषय में छात्रों का प्रदर्शन

शामिल है। मुख्य निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, निकाले गए निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। निजी स्कूलों में सभी कंप्यूटर ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में सभी कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे। विकलांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त पहुंच का अभाव, अपर्याप्त पेयजल सुविधा, और सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में निर्धारित वार्षिक शैक्षणिक दिनों की तुलना में कम संख्या और निर्देशात्मक घंटे समावेशी कक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक के प्रबंधन पर गुणवत्ता की चिंता को दर्शाते हैं। काम कर दिन निजी स्कूलों के पाँचवीं और आठवीं कक्षा के अंग्रेजी और गणित के शिक्षक निर्धारित कक्षा तक पहुँचने के लिए अधिक पाबंद थे और सरकारी स्कूलों में अपने समकक्षों की तुलना में निर्धारित कक्षा में कम अनुपस्थित पाए गए। अधिकांश निजी स्कूल के शिक्षक अपने पब्लिक स्कूल समकक्षों की तुलना में छात्रों के साथ बातचीत करने और छात्रों को व्यक्तिगत कार्य सौंपने की गतिविधियों में अधिक शामिल होते हैं। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार की सहायता के परिणामस्वरूप आधारभूत संरचना में विशेष कमी नहीं होती है परन्तु शिक्षकों की शिक्षण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना एवं गम्भीरता में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत निजी विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की आवश्यक पूर्ति न होने के उपरान्त भी शिक्षक शिक्षण के प्रति अधिक सजग व गम्भीर होते हैं। यह स्थिति निजी विद्यालयों के प्रशासन के नियंत्रण व कठोरता के कारण होती है जो कि सरकारी विद्यालयों में प्राय सम्भव नहीं होती। निजी विद्यालय के योगदान को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि परीक्षा के परिणामों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम सरकारी विद्यालय की तुलना में बेहतर होते हैं। इस स्थिति की ओर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है।

सन्दर्भ

1. अदेयेमी, एस.बी. (2014), निजी और सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय के बीच विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। वर्ल्ड जर्नल ऑफ एजुकेशन, 4 (4)।

2. अधिकारी, टी. (2001), गुणवत्ता की शिक्षा। से 10 मार्च 2015 को लिया गया।

3. अफरीदी, ए.के. (2007)। प्राथमिक स्तर पर शहरी–ग्रामीण शिक्षा के बीच असमानता का तुलनात्मक अध्ययन। 16 जनवरी 2015 को पुनःप्राप्त।

4. अहमद, एस (2013)। भारत में शिक्षा की गुणवत्ताः असम के प्राथमिक विद्यालयों की एक केस स्टडी। बांग्लादेश ई–जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 10 (1)।

5. अख्ता, एम। (2013)। जिला बहावलनगर, जयपुर, पाकिस्तान में माध्यमिक स्तर पर अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाने के लिए सरकारी और निजी स्कूल के शिक्षकों का एक तुलनात्मक अध्ययन। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल रिसर्च, (4) 8।

6. अल्बा, एस.ओ. (2010)। नाइजीरिया में प्राथमिक शिक्षा के मानक और गुणवत्ता में सुधारः ओयो और ओसुन राज्यों का एक केस स्टडी। शिक्षा में क्रॉस–डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल जर्नल (IJCDSE)। 1 (3)।

7. अल्फोन्स, एन, एन (2010)। तंजानिया एडक्वाल तंजानिया नीति संक्षिप्त में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्राथमिक स्कूल नेतृत्व। 16 फरवरी 2015 को riefs/pb5.pdf/at_download/file.pdf से लिया गया।

8. अमागी, आई. (1996)। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। जे. डेलर्स में, लर्निंगः द ट्रेजर विदिन, पारसः यूनेस्को पब्लिशिंग।

9. आमोस। एम। (2011)। जम्बिाब्वे ग्रामीण स्कूलों में गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ और संभावनाएँः ग्रामीण स्कूलों का एक केस स्टडी। 17. मार्च 2015 से लिया गया।

10. वार्षिक रिपोर्ट (2016–2017)। राज्य परियोजना कार्यालय (एसएसए)। मानव संसाधन विकास विभाग, राजस्थान सरकार।

11. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17। (2017)। नई दिल्लीः स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12. वार्षिक रिपोर्टः 2016–2017 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। मानव संसाधन विकास विभाग, राजस्थान सरकार।

13. वार्षिक रिपोर्टः 2022–2023 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। मानव संसाधन विकास विभाग, राजस्थान सरकार।